



2026:AHK-LKO:10378-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

विशेष अपील संख्या - 73 सन 2026

शैलेंद्र नाथ मिश्रा

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं

परिवार कल्याण विभाग एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : आलोक मिश्रा

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उत्सव मिश्रा

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय

माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. सुनवाई हुई।

2. यह अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। इसके अतिरिक्त, चूंकि रिट न्यायालय द्वारा रिट-ए संख्या 9881/2023 [सुदीप शुक्ला एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य] में पारित निर्णय को आज ही संबंधित विशेष अपील संख्या 21/2026 [उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम सुदीप शुक्ला एवं अन्य] में निरस्त कर दिया गया है और रिट याचिका को पुनर्विचार के लिए बहाल कर दिया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है, इसलिए हमें इस अपील पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता। हालांकि, अपीलकर्ता रिट न्यायालय के समक्ष आगे/नए अंतरिम राहत के लिए आवेदन कर सकता है।

3. तदनुसार, अपील का निस्तारण किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फ़रवरी 10, 2026

शानू/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।